चुनाव में बढ़ते धनबल के दुष्प्रभाव को रोकने में निर्वाचन आयोग की भूमिका

बीज शब्द : चुनाव, निर्वाचन आयोग, लोकतंत्र, चुनाव में भ्रष्टाचार, चुनाव में धनबल का प्रयोग

ISSN 0975 1254 (PRINT)
ISSN 2249-9180 (ONLINE)
www.shodh.net

A Refereed Research Journal
And a complete Periodical dedicated to
Humanities & Social Science Research

शोध संचयन

चुनाव में बढ़ते धन के दुस्प्रभाव को कम करने अथवा रोकने के लिए प्रमुख रूप से क्या उपाय किये गये हैं? निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर विगत वर्षों में और क्या प्रयास किया है। आचार संहिता द्वारा धनबल के प्रभाव को रोकने के कौन से उपाय किये गये हैं। लगातार शक्ति के बाद भी धनबल का प्रयोग नियंत्रित नहीं किया जा सका है इसके लिए क्या सुझाव है।

डॉ. अविनाश प्रताप सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीतिशास्त्र,
महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज,
जंगल धूसड़, गोरखपुर।

अपनी निर्मिति में सभी संस्थाओं को त्रुटिविहीन बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए उसके संचालन एवं संचलन की सुदृढ़ व्यवस्था की जाती है। संविधान निर्माताओं ने भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के सफल एवं सुचारू सम्पादन के लिए एक संगठित निर्वाचन आयोग नामक संस्था की स्थापना, संविधान लागू होने से पूर्व अर्थात 25 जनवरी 1950 को ही कर दिया था।

संविधान में चुनाव से सम्बन्धित प्रावधानों में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसी कारण स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गयी है। चुनाव से सम्बन्धित सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है।[1] यद्यपि कि किसी संस्था की स्थिति सैद्धांतिक स्तर पर और होती है व्यवहारिक स्तर पर दूसरी होती है। जिस प्रकार से पिछले 60-65 वर्षों से लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा और स्थानीय निकायों के चुनाव में भारत की निर्वाचन प्रणाली अपने लाख प्रयास के बाद भी चुनाव की सुचिता शतप्रतिशत बना पाने में सफल नहीं हो पायी है। यह भी उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग के अथक प्रयास और संचेतना से चुनावी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भारत के चुनाव लगातार साफ-सुथरे हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार चुनावों में बाहुबल और धनबल ने अपना प्रभाव स्थापित करके चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर कुठाराघात किया है, वह प्रत्येक भारतीय के लिए चिंता का विषय है, चुनौती का विषय है। यह बात सही है कि राजनीतिक पटल पर विसंगतियाँ पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इस सम्बन्ध में रजनी कोठारी का विचार आज भी महत्वपूर्ण है कि ''भारत संक्रमण के मोड़ पर नहीं बल्कि एक ऐसे पथ पर खड़ा होगा, जहाँ से गहरी खाई शुरू हो जायेगी और यदि इस गहरी खाई से निरंतर उबरने का प्रयास नहीं किया गया तो देश एक अनिश्चित गर्त में चला जायेगा।''[2] चुनावी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग होने के कारण निर्वाचन आयोग इसके परिधि में स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। दरअसल आधुनिक भारत के निर्माताओं को इस बात का पूरा ध्यान था कि स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए स्वस्थ्य चुनावी प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक है। इसी कारण न केवल निर्वाचन आयोग का गठन किया गया बल्कि उसे संवैधानिक संस्था का स्थान देते हुए उसे व्यापक अधिकार दिया गया।[3]

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से निर्वाचन की सुचिता एवं स्वतंत्रता को वाहुबल और धनबल निरंतर दुष्प्रभावित कर रहे हैं। यद्यपि कि निर्वाचन आयोग के लगातार प्रयास से बाहुबल का दुष्प्रभाव अवश्य ही कम हुआ है, लेकिन धनबल का प्रभाव चुनाव दर चुनाव बढ़ता ही जा रहा है। चुनावों में इस प्रकार के कदाचारों से बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों एवं चिंतकों ने लगातार चिंता भी व्यक्त किया है। इसमें श्री लालकृष्ण आडवानी

का विचार महत्वपूर्ण है कि ''अंतत: गंदी राजनीति की जड़ में साफ-सुथरा चुनाव न होना ही है। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि आज भारत में चुनाव अत्यधिक महंगे, अत्यधिक भ्रष्ट और हिंसा से पटे पड़े हैं।''[4] इसी क्रम में श्री लालकृष्ण आडवानी ने चुनाव में धनबल के बढ़ते प्रभाव पर विचार की ''चुनाव में मनी पावर, मिनिस्ट्रियल पावर, मीडिया पावर, मसल पावर उसकी सुचिता प्रभावित करते हैं''।[5] उनमें से आज भी मनी पावर सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने बना हुआ है। दरअसल चुनाव में धनबल का प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक से भारत में बढ़ने लगा। लगातार चुनावी प्रक्रिया महंगी होती गयी। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा भी इस कारण बढ़ायी जाती रही। चुनावी व्यय के निगरानी के लिए पर्यवेक्षक सहित अन्य अनेक उपाय भी किये गये। चुनावी चन्दे से लेकर पब्लिक फंडिग तक के सुझाव आये लेकिन चुनाव में धनबल पर रोक एवं लगाम के स्थान पर उसका प्रभाव एवं महत्व बढ़ता ही गया। चुनाव में धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए गम्भीर प्रयास 1974 में तारकुण्डे समिति का ''सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी'' का गठन करके किया गया। इस समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश यह थी कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने खातों, आय के स्रोतों और खर्च के ब्यौरों का पूरा हिसाब दिया जाय। यदि खाते में गड़बड़ी पायी जाए तो इसे दण्डनीय अपराध माना जाय।[6] चुनाव में धनबल के प्रयोग को लेकर शुरू से ही निर्वाचन आयोग भी चिंतित रहा है तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस.पी. सेन वर्मा का विचार उल्लेखनीय है कि ''राजनीतिक भ्रष्टाचार ज्यामितिक ढंग से बढ़ता रहेगा जबतक कि चुनावों में धनबल के अंधाधुंध प्रयोग पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा।''[7] धनबल के दुष्प्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु व्यय सीमा निर्धारण के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आने पर पुन: तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त श्री आर.के. त्रिवेदी ने कहा कि '' मुझे यह भय है कि यह व्याधि आने वाले दशक में बहुत परेशान करने वाली होगी। प्रत्याशी और उनके राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए भारी मात्रा में धन अवैध रूप से एकत्र करते हैं और धन चुनाव जीतने का फार्मूला बनता जा रहा है। जो जितना धन खर्च करेगा उसके चुनाव जीतने की सम्भावना उतनी अधिक होती जा रही है।[8] इसी प्रकार टी.एन. शेषन ने भी राजनीतिक दलों के आय-व्यय का लेखा परीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अभिकरण द्वारा करवाये जाने की सिफारिश की गयी।[9] धनबल के सम्बन्ध में चुनावी कदाचार पर महत्वपूर्ण सिफारिश इन्द्रजीत गुप्त समिति की मानी जाती है। समिति ने चुनाव में आयी विकृतियों का एक मात्र कारण धन बल एवं वाहुबल को माना। इसे रोकने के व्यापक उपाय भी सुझाये।[10]

चुनाव में धनबल के बढ़ते प्रभाव के कारण चुनावी प्रक्रिया लगातार प्रश्नांकित होती रही है इसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव आचार संहिता, संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून में समय-समय पर संशोधन भी किया फिर भी धनबल का प्रयोग रुकने के स्थान पर चुनाव में बढ़ता ही गया। निर्वाचन आयोग का चुनाव में बढ़ते धन के प्रयोग से चिंतित होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में आज यह सबसे बड़ी बाधा बनकर निर्वाचन आयोग के सामने खड़ा है। धन के बढ़ते प्रभाव एवं प्रयोग के कारण गरीब एवं आम लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी कठिन होती जा रही है। ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है। वास्तव में यह लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे की घण्टी है। धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग सहित अन्य फोरम पर यह बात पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में है कि व्यय कोष का नियमन कर पब्लिक फडिंग पर चुनाव कराया जाय, जिसमें प्रत्याशी कोई व्यय नहीं करेगा। सभी व्यय राज्य की ओर से होंगे। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन भी नसीम जैदी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि ''राजनीतिक कोषों के नियमन के लिए नाकामी कानूनों से ऐसे भयावह हालात पैदा हो सकते हैं, जिसमें संस्थाएं धनबल के नियंत्रण में चली जाएं और निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो जाए, तो राजनीति और निर्वाचन प्रक्रिया में धनबल के बढ़ते प्रभाव से निपटने की क्या राह है? इसका समाधान ढूढ़ने का लगातार प्रयास भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आ सका है।''[11] धन के माध्यम से चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि राजनीतिक दलों के व्यय को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में सम्मिलित किया जायेगा।[12] अपने लगातार प्रयास के बावजूद निर्वाचन आयोग को प्रतीत होता है कि आगे आने वाले चुनावों में धन के दुष्प्रभाव को रोका अथवा कम करना एक बड़ी चुनौती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव से पूर्व एक कार्यक्रम में बोलते हुए शंका व्यक्त किया कि आगामी 2012 में पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा में विधानसभा चुनावों में धनबल के इस्तेमाल को रोकने में दिक्कत आ सकती है। स्वयं तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि ''हमें लग रहा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा में धन के मोर्चे पर हमारे सामने दिक्कतें आयेगी क्योंकि धन एक बड़ी भूमिका निभाता है।[13] उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनाव के समय तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ.एस. वाई. कुरैशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धनबल-बाहुबल पर हर हाल में अंकुश लगायें।[14] 2014 में लोकसभा आम चुनाव में निर्वाचन आयोग ने धनबल के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से एक दिशा निर्देश के माध्यम से कहा कि मतदाताओं को लभाने के लिए यदि शराब, पैसा, कपड़ा, खाद्य पदार्थ, उपहार इत्यादि दिये जाने पर एक वर्ष की सजा होगी इत्यादि।[15]

प्रत्येक चुनाव में धन का प्रयोग एवं प्रभाव दोनों लगातार प्रत्येक चुनाव में बढ़ता ही जा रहा है। इससे स्वयं निर्वाचन आयोग भी अत्यधिक चिंतित है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत असम, पाण्डेचेरी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में सम्पन्न चुनावों में चुनाव आयोग की विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग एक अरब

पचीस करोड़ रू. से अधिक जब्त किया गया था। इसके अलावा इन राज्यों में अत्यधिक मात्रा में शराब, मादक पदार्थ, साड़ी, धोती, कंबल इत्यादि लुभाने वाले सामान भी पकड़े गये थे अभी इसके अतिरिक्त कितनी और धनराशि तथा अवैध रूप से अन्य सामग्री का प्रयोग हुआ, इसकी गणना नहीं है। धनबल के कारण झारखण्ड कोटे से राज्य सभा के लिए होने वाले चुनाव को निर्वाचन आयोग ने रोक दिया।[16] अब निर्वाचन आयोग ने ज्यादा धन व्यय करने की सम्भावना वाले सीटों को चिन्हित कर उसकी अलग से निगरानी करने का कार्य प्रारम्भ किया है।[17] निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में बढ़ते धनबल का प्रयोग और उससे प्रभावित हो रहे निर्वाचन प्रक्रिया का हल ढूढने हेतु निरंतर क्रियाशील है। प्रत्येक चुनाव से पहले सर्वदलीय बैठक, आचार संहिता का कड़ाई से पालन की चेतावनी, अनेक मानीटरिंग ऐजेन्सियों का कार्य में लगाना इत्यादि के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है यह एक बड़ा प्रश्न है। इतना तो तय है कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी सीट जीतने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। भारत में गरीबी-अशिक्षा, अजागरूकता, सामाजिक समझ, राजनीतिक मुद्दों की समझ लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका इत्यादि विषय भी है जिनको ठीक करके चुनावी प्रक्रिया की सूचिता की सम्भावना अवश्य है। इस सन्दर्भ में सबसे आवश्यक है कि संसद द्वारा कानून बनाकर राजनीतिक दलों को निर्धारित धन सीमा में व्यय करने हेतु नियंत्रित करने का कानून बने, जिसकी निगरानी पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधीन हो। दूसरी बात कम्पनी एक्ट की भांति राजनीतिक पाटियों के लिए भी एक्ट बनाए जाएं। तीसरा कि चुनावी खर्च को कम करने के लिए एक क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाय। काले धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए फंडिंग की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के अधीन कोई प्राधि करण स्थापित किया जाय। मतदान को अनिवार्य करके भी चुनाव में धनबल के बढ़ रहे प्रभाव को रोका जा सकता है। प्रत्याशी के साथ ही पार्टियों के भी खर्च की सीमा निर्धारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में यही कहना समचिन होगा कि जबतक पर्याप्त और कठोर कानून का निर्माण नहीं किया जायेगा और यह कानून को लागू कराने की पूरी जवाबदेही एवं जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की अधीन ही हो तबतक स्वच्छ एवं स्वस्थ्य चुनाव करा पाना निर्वाचन आयोग के सामने कठिन चुनौती है।

संदर्भ

1. लक्ष्मीकान्त, एम.; भारत की राज्य व्यवस्था, मैग्राहिल एजूकेशनल प्रा. लिमिटेड, 2016, पृ. 38.3।
2. कोठारी, रजनी; कान्टेस्क्ट ऑफ इलेक्टोरल चेन्ज इन इण्डिया, एकेडमिक बुक्स बाम्बे, नई दिल्ली, पृ. 3 ।
3. भारत का संविधान अनुच्छेद 324 से 328 ।
4. आडवानी, लालकृष्ण; इलेक्टोरल सिस्टम इन इण्डिया, नीड फार रिफार्म्स, पंचनन्द रिसर्च इस्टीट्यूट, चण्डीगढ़, 1987, पृ. 9 ।
5. वही ।
6. तरकुण्डे समिति की रिपोर्ट, नई दिल्ली 1975, पृ. 6-7 ।
7. भण्डारी, एम.सी.; इलेक्टोरल रिफार्म्स 1970, पृ. 5 ।
8. सिंह, एल.पी.; इलेक्ट्रोरल रिफार्म्स : प्राब्लम एज सजेस्टेड, सल्यूशन, उप्पल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1986, पृ. 97 ।
9. मेहता, पी.बी.; इज इलक्टोरल एण्ड इन्स्टिट्यूशनल दि आन्सर सेमिनार 506, अक्टूबर 2001, नई दिल्ली पृ. 66 ।
10. इन्द्रजीत गुप्त समिति रिपोर्ट, ऑन इलेक्टोरल रिफार्म्स गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया मिनिस्ट्रि आफ लॉ एण्ड जस्टिस, नई दिल्ली 1998, पृ. 1-10 ।
11. राजनीति में धन के इस्तेमाल का जनप्रतिनिधित्व पर प्रभाव, विशेष आलेख, प्रभात खबर काम, 18 दिसम्बर 2015 ।
12. कवंरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला, आल इण्डिया रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 308 ।
13. वेब दुनिया, 9 जनवरी 2012 ।
14. दैनिक जागरण, 7 जनवरी 2012 ।
15. दैनिक जागरण, 6 जनवरी 2014 ।
16. मुद्रा : राजनीति में बढ़ता धनबल, दैनिक जागरण, 8 अप्रैल 2017 ।
17. चुनाव में बढ़ते धनबल पर चुनाव आयोग सख्त, दैनिक जागरण, 13 सितम्बर 2013 ।

◆◆◆

(Continued from Page No. 76)

Indian sensibility".

Undoubtedly A.K. Ramnujan was an expatriate but the urge to protect, preserve and express a characteristic Indian sensibility remained alive in him. "His poetry reflects a curious blend of irony, nostalgia and expatriate.

Summary

We should bear in mind the inspiring statement of A.K. Ramanujan made in the course of an interview in Delhi. On being asked about the rapid poetic growth of three hundred Indian poets writing in English today, Ramanujan replied : "There are nearly one thousand poets in America; so three hundred is not a staggering figure." He further adds: "I wish good luck to all of them." It is, in fact, heartening to find that there are some genuine poets among the Indian and diasporic voices, like Nissim Ezekiel, Kamala Das, Keki N. Daruwalla, Arun Kolatkar, Shiv K. Kumar, Pritish Nandy, R. Parthasarathy, K.D. Katrak, A.K. Ramanujan, Jayant Mahapatra, Arvind Krishna Mehrotra, Gieve Patel, and Dom Moraes, who have established their distinctive identity and reputation and made a significant contribution to Indian English poetry of today.

Reference :

1. C.D. Narsimhah The Swan And the Eagle (Shimla, Institute of Advanced Studies, 1969) p. 18
2. K.R.S. Lyengar : Indian Writing in English, (Delhi, Steling, 1990) p. 29
3. Kamala Das "An Introduction" in P.Lal; ed Modern Indian Poetry in English: An Anthology and Credo (Calcutta; Writers Workshop, 1969), p.104
4. William Walsh, op. cit., p. 70